मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05 /10 /2023

क्र. एफ IPI/5/0051/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाईल प्रा. लि. द्वारा ग्राम- फतेहपुर, बराड रोड, जिला- बुरहानपुर में रू. 312.74 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से टेक्सटाईल इकाई में विस्तार एवं विविधीकरण परियोजना संबंधी प्रस्ताव हेतु शासन आदेश दिनांक 15.03.2023 द्वारा स्वीकृत विशिष्ट सुविधाओं के संबंध में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (DIPIP23201) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जायें -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत यंत्र - संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जायेगी। विस्तार परियोजना को निर्यात गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - परियोजना अंतर्गत नवीन विद्युत कनेक्शन/स्थापित विद्युत कनेक्शन पर लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रू. 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत नवीन विद्युत कनेक्शन/स्थापित विद्युत कनेक्शन पर लिये गये अतिरिक्त विद्युत भार पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये ।

4. **ब्याज अनुदान** - उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) के प्रावधान अनुसार टेक्सटाईल उद्योगों के लिये विशेष वित्तीय सहायता अंतर्गत भारत सरकार की टफ स्कीम में वस्त्र मंत्रालय के संकल्प क्रमांक 06.04.2007-सी 71, नई दिल्ली नवम्बर, 2007 में वर्णित टफ अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर लिये गये टर्म लोन पर ब्याज अनुदान शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

5. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रांरभ करने की दिनांक से प्रथम 5 वर्षों में नियुक्त किये गये मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 13,000/- प्रति कर्मचारी की दर से, अधिकतम सीमा रूपये 1.50 करोड तक की प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति प्रदान की जाये।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ दिसम्बर, 2026 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

7. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में मेगा श्रेणी के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्येक चरण हेतु स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

8. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0051/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 05/10 /2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला - बुरहानपुर।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स बुरहानपुर टेक्सटाईल प्रा. लि., 15/17, Vanka Mohalla, Dr. MB Velkar Street, Kalbadevi, Mumbai- 400002.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग